न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 55/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/181

अनवान्

1. श्री हेमराज पुत्र श्री रामा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

……………प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सीता पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री मनीष पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री ऊंकारलाल पुत्र श्री भेरा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री परथा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्री गोकल पुत्र श्री परथा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री परथा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्री पेमा पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती पारसदेवी पत्नी श्री भेरूलाल जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
9. श्री रामचनद्र पुत्र श्री भेरा जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
10. श्रीमती संतोषबाई पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
11. श्री रतनलाल पुत्र श्री हिरालाल जाति जाट निवासी सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
12. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

……………….विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री भावेश वसीटा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी।
3. श्री हरिश शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–12.11.2025

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सारंगपुरा कानोड पटवार हल्का ारंगपुरा कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर की आराजी संख्या 1117 रकबा 0.3900 है. ूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त कृषि भूमि का 109/480 हिस्सा प्रार्थी हेमराज के

नाम पर एवं 67/975 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 सीता के नाम पर, 67/1950 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 मनीष के नाम पर, 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 ओंकारलाल के नाम पर, 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 4 कन्हैयालाल के नाम पर, 11/312 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 नाम पर, 11/480 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 पृथ्वीराज के नाम पर, 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 8 पारसदेवी के नाम पर, 1/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 9 रामचन्द्र के नाम पर, 31/1300 हिस्सा विपक्षी संख्या 10 सतोषबाई के नाम पर, 41/780 हिस्सा विपक्षी संख्या 11 रतनलाल के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है। यह कि भूमि मे राजस्व अभिलेख मे अंकित हिस्से अनुसार ही प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 हिस्सा, अधिकार एवं आधिपत्य है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एव विपक्षी संख्या अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहे है एव प्रार्थनाग्रस्त अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है।

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 के नाम रूप से अंकित है जिससे इसकी आड़ में विपक्षी संख्या 1 व 2 जबरन प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हक, अधिकारों को शरीर के बल पर चुनौती देने पर उतारू है एवं प्रार्थी का भूमि में से प्रार्थी के हिस्से कब्जे से जबरन बेदखल करने पर उतारू है जिससे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी 1, 2, 4, 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। शेष विपक्षीगण की तरफ से जवाब न होने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 की तरफ से जवाब दे गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वर्णित आराजीयात ग्राम सारंगपुर पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड तहसील कानोड में खसरा संख्या 1117 रकबा 0.3900 हे होना स्वीकार है तथा उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ विपक्षी सीता का 67/975 हक एवं मनीष का 67/1950 हिस्सा दर्ज रेकर्ड होकर इसी अनुसार मौके पर हम विपक्षी 1 व 2 का कब्जा शांति पूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के चला आ रहा है तथा अन्य का हक हिस्सा भी रेकर्ड अनुसार दर्ज होकर अलग-अलग कब्जा चला आ रहा है।

4. यह कि वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण सं. 1 से 11 के नाम शामलाती खाते चली आ रही है और मौके पर आपस में बाहमी तौर से अपने अपने हक हिस्से पर होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मौके पर जिस अनुसार काबिज है अनुसारी विधिवत बंटवाडा किये जाने में हम विपक्षी सं. 1 व 2 को कोई एतराज नहीं प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 अपने अपने हक हिस्से काबिज है तथा इस चरण में प्रार्थी ने हम विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्ध गलत तथ्य वर्णित किये है तथा प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व 2 के संबंध में यह कार्यवाही गलत आधारों पर पेश है जिससे हम विपक्षी सं. 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम सं. 1 व 2 के विरूद्ध मेन्टेनेलेबल नहीं है।

5. यह कि प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्ध गलत अनुतोष की मांग की गई है जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी ने हक विपक्षी सं. 1 व 2 विरूद्ध गलत आधारों से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 व 2 मौके पर प्रार्थी के साथ घटना कारित करने के तथ्य असत्य वर्णित किये है उससे विपक्षीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा विपक्षी सं. 3 से 11 ने प्रार्थी को मौके पर अनुसार उक्त भूमि का बंटवाडा मौके पर कब्जे अनुसार कराने के लिये शुरू से ही तैयार यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने हि सं. 1 व 2 द्वारा मौके पर प्रार्थी के साथ घटना कारित करने के तथ्य असत्य वर्णित कि उससे अन्य विपक्षीगण को कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा विपक्षी सं. 3 से 11 ने प्रार्थी

मौके पर कब्जे अनुसार उक्त भूमि का बंटवाडा कराने से इंकार नहीं किया है। बल्कि विपक्षीगण उक्त जमीन का बंटवाडा मौके पर कब्जे अनुसार कराने के लिये शुरू से ही तैयार है।

6. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि विधि अनुसार खातेदार काश्तकार के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जा सकती है क्योंकि जितना हक प्रार्थी का होता है उसी अनुसार विपक्षी खातेदार का भी हक अधिकार उक्त जमीन के उपयोग उपभोग में होता है उसमें प्रार्थी को बाधा उत्पन्न करने या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के निवेदन किया।

7. प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में केवल मात्र आराजी न. 1117 का ही वर्णन करते हुए बंटवाडा का वाद पेश किया है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार कब्जा नहीं है उक्त आराजीयात पारिवारिक समझौता अनुसार विपक्षीगण के हिस्से कब्जे में दी गयी थी जिसमें प्रार्थी का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं है केवल कानूनी बटवाडा नहीं होने से मात्र यह खातेदार होने से प्रार्थी का उक्त आराजीयात में हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त आराजीयात खसरा संख्या 1117 के अलावा प्रार्थी एवं विपक्षीगण कि सामलाती अन्य आराजीयात आराजी संख्या 1280, 1281, 1282, 1283 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2600 है भूमि भी स्थित है जिसका कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं किया गया है जिसमें प्रार्थी को हक हिस्सा कब्जा अधिकार पारिवारिक समझौते अनुसार दिया गया था जिसमें प्रार्थी का कब्जा है परन्तु प्रार्थी द्वारा केवल विपक्षीगण के हिस्से कब्जे कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में कब्जा करने कि नियत से उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है।

8. यह कि उक्त आराजी न. 1117 में प्रार्थी का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है उक्त भूमि पारिवारिक समझौते अनुसार विपक्षी संख्या 4, 5 को मिली है जिसमें विपक्षी कई वर्षों से कृषि कार्य करता भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों का अंकन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि से विपक्षीगण को अवैध तरीके से बेदखल करने कि नियत से गलत तथ्यों को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सव्यय खारीज होने योग्य है। उक्त प्रर्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सारंगपुरा कानोड पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड की परिशिष्ट (क) की आराजी संख्या 1117 मकान किया 1 रकबा 0.3900 है. भूमि स्थित है जिसमें औंकारलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 कन्हैयालाल का 11/312 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 गोकल का 11/312 हिस्सा, पृथ्वीराज का 11/480 हिस्सा, पेमा का 1/8 हिस्सा, पारस देवी का 41/780 हिस्सा, मनीष का 67/1950 हिस्सा, रतनलाल का 1/8 हिस्सा, रामचन्द्र का 1/8 हिस्सा, सन्तोष बाई का 31/1300 हिस्सा, सीता का 67/975 हिस्सा एवं वादी हेमराज का 109/480 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है व परिशिष्ट (ख) की आराजी संख्या 492, 493, 494 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0100 है. भूमि स्थित है जिसमें उंकार का 1/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 कन्हैयालाल का 1/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 गोकल का 1/9 हिस्सा, गंगाराम का 1/9 हिस्सा, गुलाब का 262/4545 हिस्सा, चम्पालाल का 1/9 हिस्सा, मगनीराम का 1/12 हिस्सा, रतनलाल का 1/12 हिस्सा, सीता का 27/505 हिस्सा एवं हगामी का 1/9 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

10. यह कि साबिक आराजी नं. 178, 179, 180 किता 3 रकबा 10 बिघा 2 बिस्वा जो पूर्व में भीमा जी के तीनों बेटो नान जी, रामा, परथा के नाम पर चली आ रही थी उसमें से परथा जी ने अपने हिस्से कि साबिक आराजी न. 180 जिसके वर्तमान आराजी न. 492, 493, 494 है भूमि को

रामा जी को आपसी सहमती से दे दी और रामा जी ने साबिक आराजी न
दे दी इस कारण उक्त साबिक आराजी न. 478 पर शुरू से ही परथा
उनके वारिश हम विपक्षी संख्या 4 व 5 के कब्जे काश्त चला आ रहा है।
चारो बेटो उदयलाल, मगनीराम, हेमराज, गंगाराम पिता रामा व विपक्षी संख्या
16.11.1979 मे लिखापढी की गयी। यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र कि कलम
भूमि जो परिशिष्ट क एवं परिशिष्ट ख मे अंकित है उक्त भूमि को लेकर
को 5 रूपये के स्टाम्प पर आपसी लिखापढी की गयी जिसके अनुसार उदय
हेमराज एवं गंगाराम पुत्र रामा जी जाट द्वारा विपक्षी संख्या 4 कन्हैयालाल एवं
गोकल के पक्ष में यह लिख कर दिया हमने आपके पास आपके पिता जी के
हनुमान जी वाले कुए की आरजी में से आम रास्ते पर 38 X 31 गज चौडाई
हमारे मकान बनाने के लिये लिया जो वर्तमान मे आराजी नं. 1117 है व हमारे
कुए पर हमारी पास आराजी खेत में 10 गज X 145 गज जमीन हम देते है जो
में सम्मिलित पडती है जो वर्तमान में आराजी न. 492, 493, 494 है अर्थात उक्त
अनुसार आराजी न. 1117 संम्पूर्ण भूमि हक विपक्षी संख्या 4 व 5 की कब्जे कि है
वर्गफिट भूमि करीब 4 बिस्वा भूमि चारों भाईयों को विपक्षी संख्या 4 व 5 ने दी
विपक्षी संख्या 4 व 5 काबिज है तथा आराजी न. 492, 493, 494 में उक्त चारों भा
5800 वर्गमिट भूमि करीब 5 बिस्वा भूमि जो हेमराज, गंगाराम, उदयलाल, मगनी
पर है उक्त भूमि चारों भाईयों ने विपक्षी संख्या 4 व 5 को दी जिस पर विपक्षी
का कब्जा होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है।

11. यह कि परिशिष्ट क कि भूमि जो पूर्व में साबिक आराजी न. 478 जो रामा पुत्र भी
पर गलत दर्ज थी एवं इसके अलावा अन्य भूमि जिनके साबिक आराजी न. 11
113/3, 114, 113, 143, 215, 476, 559, 560, 562, 596 भी रामा पुत्र भीमा के न
थी जो उक्त भूमि को डिक्री से खाता संख्या 57 किता 11 रकबा 23 विघा 12
गुलाब, उंकारलाल, चम्पालाल पुत्र नान जी हिस्सा 1/3, उदयलाल, मगनीरा
गंगाराम पिता रामा हिस्सा 1/3 एवं कन्हैयालाल, गोकल पुत्र परथा हिस्सा 1/3 ि
तथा आपसी बंटवाडा में अलग अलग खाते दर्ज कि गयी लेकिन आराजी नं. 478 ज
संख्या 4 व 5 के कब्जे काश्त में थी सहवन से डिक्री एवं बंटवाडे में छुट जाने से अ
स्वतंत्र दर्ज नहीं हो सकी और रामा के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में रही गई लेवि
परथा के वारिश कन्हैयालाल एवं गोकल का था और राजस्व रेकर्ड में नाम रह जाने
में वदयान्ति आ गयी है जबकि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 4 व 5 के कब्जे काश्त ि
जिसमें प्रार्थी हेमराज का कोई हक हिस्सा कब्जा नहीं है। यह कि उक्त कलम
परिशिष्ट क में वर्णित आराजी न. 1117 के साबिक आराजी न. 478 क्षै. 36 बिस्व
उदयलाल, मगनीराम के नाम पर जो हिस्सा था विपक्षी संख्या 4 व 5 ने उदय
मगनीराम से ओकारलाल पुत्र भेरा, हीरालाल पुत्र भेरा, रामचन्द्र पुत्र भेरा एवं पेमा पुत्र
को विक्रय करा पैसा स्वयं प्राप्त किया और शेष 1/2 भूमि विपक्षी संख्या 4 कन्है
विपक्षी संख्या 5 गोकल कि कब्जे हिस्से कि भूमि है जिसमें कन्हैयालाल व गोकल
बिस्वा रही जिस पर कन्हैयालाल व गोकल का कब्जा था परन्तु उक्त भूमि हेमराज व
के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में रही जिसमें से बाद में गंगाराम पुत्र रामा ने अपने हि
बिस्वा भूमि तो विपक्षी संख्या 4 व 5 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा दी औ
सहमति से हेमराज व गंगाराम ने पृथ्वीराज पुत्र भगवान, पासरदेवी पत्नी भेरूलाल, सन्त
पत्नी देवीलाल को 4 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा दी। शेष बची 12 बिस्वा भू
बिस्वा भूमि लिखापढी द्वारा अदला बदली में दी गयी थी उसको छोडते हुए 8 बिस्वा
विपक्षी संख्या 4 व 5 के नाम पर घोषणा कराये जाने का अधिकारी है और प्रतिवादी स

व 5 का वर्तमान में कब्जा है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 4 व 5 परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात म 5 बिस्वा अतिरिक्त भूमि रामा के वारिशान से अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है हेमराज का उक्त आराजी न 1117 में कब्जा नहीं है केवल राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज है इसलिए हेमराज द्वारा मन में बदयानित आ जाने से उक्त भूमि पुन विक्रय करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

12. यह कि उपरोक्त काउन्टर प्रार्थना पत्र कि कलम न 1 में वर्णित आराजीयात आराजी न 1117 में अतिरिक्त 8 बिस्वा भूमि एवं आराजी न. 492, 493, 494 में 5 बिस्वा अतिरिक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा जबरन लडाई झगडा करते हुए कब्जे से बेदखल करने की कुचेष्टा करता रहता है एवं राजस्व रेकर्ड में नाम का अंकन होने से भूमि को विक्रय करने का प्रयास कररहा है और भूमि पर लोगों को लाकर सौदा करने का प्रयास कर रहा है इसलिए विपक्षीगण प्रार्थी के विरुद्ध इस अमर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 4 व 5 को उसके हक हिस्से कब्जे कि आराजी न. 1117 में 8 बिस्वा अतिरिक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा पेदा नहीं करे, दौराने वाद विशेष हिस्से का उल्लेख करते हुए किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बेह बक्षीस विक्रय किसी भी तरीके से अन्तरीत नहीं करे भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहूंचाने। यह कार्य वादी स्वय अपने नोकर चाकर एजेनट मित्र परिवारजन आदि से भी नही करे न करावे। अतः प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की लिखित बहस व अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों विन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 11 खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा है कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 19.06.2025 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कथनो का खण्डन किया है किन्तु बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा कथन कहा है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 4, 5 के हिस्से कब्जे में पारिवारिक समझौते से आयी है जिससे काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही बताया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी व अन्य का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है जिसके संबंध में एक इकरार नामा पेश किया है जो एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज की सत्यता को एवं अन्य कथनों को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। इस पत्रावली में हमें सिर्फ तीनों बिन्दुओं को ही देखना है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में उभय पक्षकारान खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

II. **अपूरणीय क्षति** :–प्रार्थनाग्रस्त भूमि में उभय पक्षकारान खातेदार होने से तथा प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में सावित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद बंटवाडा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा है कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को ... पर आमादा है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 19.06.2025 से अन्तरिम अरथाई ... है। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा प्रार्थी के अरथाई निषेधाज्ञा जारी करने के कथनों का ... किन्तु बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। विपक्षी संख्या 4, 5 ... कहा है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 4, 5 के हिस्से कब्जे में पारिवारिक समझौते ... जिससे काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया साथ ही बताया कि वर्णित आराजी ... साविक आराजी न. 478 क्षै. 36 बिस्वा भूमि में उदयलाल, मगनीराम के नाम ... विपक्षी संख्या 4 व 5 ने उदयलाल एवं मगनीराम से ओकारलाल पुत्र भेरा, हीरालाल ... रामचन्द्र पुत्र भेरा एवं पेमा पुत्र नारायण को विक्रय करा पैसा स्वयं प्राप्त किया और ... भूमि विपक्षी संख्या 4 कन्हैयालाल व गोकल का 18 बिस्वा रही जिस पर कन्हैयालाल ... का कब्जा था परन्तु उक्त भूमि हेमराज व गंगाराम के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में ... से बाद में गंगाराम पुत्र रामा ने अपने हिस्से में 2 बिस्वा भूमि तो विपक्षी संख्या 4 व ... पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा दी और हमारी सहमति से हेमराज व गंगाराम ने पुत्र ... भगवान, पारसदेवी पत्नी भेरूलाल, सन्तोष बाई पत्नी देवीलाल को 4 बिस्वा भूमि राजस्व ... में दर्ज करादी। शेष बची 12 बिस्वा भूमि में 4 बिस्वा भूमि लिखापढी द्वारा अदला बदली ... गयी थी उसको छोडते हुए 8 बिस्वा भूमि को विपक्षी संख्या 4 व 5 के नाम पर घोषित ... जाने का अधिकारी है और प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वर्तमान में कब्जा है। इसी तरह ... संख्या 4 व 5 परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात में 5 बिस्वा अतिरिक्त भूमि रामा के ... से अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है जिससे इस पत्रावली में काउन्टर प्रा... पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में एक इकरार नामा पेश किया है जो एक अ... दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज की सत्यता को एवं अन्य कथनों को मूल वाद में साक्ष्य ... आधार पर ही तय किया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी सं... 11 खातेदार है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के ... उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 4 ... काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अ... का एवं विपक्षी संख्या 4, 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा ... (कानोड) पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. कि ... संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 314 की आराजी न. 1117 किता 1 रकबा ... हैक्टयर भूमि में उभय पक्षकारान मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड ... यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।